संख्या-124/2022/I/223863/2022/003-2022-71-2002-002-7-2021

प्रेषक,

अशोक कुमार
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 12 अक्टूबर, 2022

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत वेतन मद में रू0 1000.00 लाख की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-केएसएसएससीआई/लेखा-02/87/2022-23, दिनांक 24 सितम्बर, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में संस्थान को वेतन मद में आवंटित धनराशि के सापेक्ष अवशेष रू0 1000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। वेतन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2804.02 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-46/2022/I/158110/002-71-2002-002-7-2021, दिनांक 21 अप्रैल, 2022 द्वारा संस्थान के कार्मिकों के वेतन मद में वहन हेतु रू0 934.67 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में लेखा शीर्ष -2210-05-105-03-0308- सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए निदेशक, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जाएगा तथा उसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी।
4. संस्थान के प्रमुख एवं संबंधित वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन किया जा चुका है।
5. वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय)1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/ 2022, दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
7. धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगें।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210-05-105-03-0308 कैंसर संस्थान, लखनऊ 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त **मानक मद** (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-124/2022/1/223863/2022/003-2022-71-2002-002-7-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।
7. वित्त ई-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।